



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

**प्रशासनिक एवं प्रगति
प्रतिवेदन
2019-20**

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

2019—20

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	कारागार विभाग का उद्देश्य	1
2.	बंदी क्षमता एवं संख्या	1-2
3.	सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम	2
	3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)	2-3
	3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई	4
	3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण	4-5
	3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई	5
	3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण	6
	3.6 कारागृह उद्योग	6-7
	3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम	7
	अ. साक्षरता	7
	ब. उच्च शिक्षा	7-8
	स. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	8
	द. तकनीकी शिक्षा	8-10
	3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा	10
	3.9 बंदी कल्याण कोष	11
	3.10 बंदी बैण्ड	11
	3.11 अन्य कार्यक्रम	12
4.	चिकित्सा एवं सुविधायें	12-13
5.	मानव संसाधन	13-15
	5.1 प्रशिक्षण	15-16
	5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास	16
	5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	17
6.	नवाचार	17
	6.1 आशाएं कॉपरेटीव सोसायटी	17
	6.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	18
	6.3 ई-प्रिजन्स एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	18-19
	6.4 ई-हिस्ट्री टिकिट	19
	6.5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	19
	6.6 जेल विकास बोर्ड का गठन	20
	6.7 Prison Inmate Calling System	20
	6.8 बंदियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना	20
	6.9 नये उद्योगों की स्थापना	20-21
	6.10 भावी प्राथमिकताएं	21-22
7.	विभाग का स्वीकृत बजट, आय व्यय का विवरण	22-23
8.	विभाग का संगठनात्मक ढांचे का विवरण	24-26

कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2019

1. कारागार विभाग का उद्देश्य

न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति समानता का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

2. बंदी क्षमता एवं संख्या

राज्य में केन्द्रीय कारागृह (9), उच्च सुरक्षा कारागार (1), विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (1), जिला कारागृह "ए" श्रेणी (2), जिला कारागृह "बी" श्रेणी (24), उप कारागृह (60), खुला बंदी शिविर (39), महिला बंदी सुधारगृह (7), किशोर बंदी सुधारगृह (1), कुल 144 कारागृह हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 22921 है।

केन्द्रीय कारागृहों में आजीवन कारावास तथा 10 साल से अधिक सजा के दण्डित बंदियों (Convicts) को रखा जाता है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में फांसी की सजा से दण्डित बंदियों को रखा जाता है। जिला कारागृह "ए" श्रेणी में 10 वर्ष तथा अन्य जिला कारागृहों में 3 साल तक की सजा से दण्डित बंदियों को रखा जाता है। समस्त कारागृहों में विचाराधीन बंदियों (Under Trials) को यथासंभव उनके विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों के न्यायालय के क्षेत्राधिकारानुसार अभिरक्षा में रखा जाता है। उच्च सुरक्षा कारागार में राज्य के हार्ड कोर बंदियों को रखा जाता है। विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा) में सम्पूर्ण राजस्थान के सजायाफ्ता बंदियों को रखा जाता है।

किशोर बंदी सुधारगृह में 18 से 21 साल तक की उम्र के सजायाफ्ता बंदी रखे जाते हैं तथा महिला बंदी सुधारगृहों में केवल महिला बंदियों को रखा जाता है। केन्द्रीय कारागृहों एवं जिला कारागृहों में वर्तमान में पृथक महिला वार्ड भी कार्यरत है, जहाँ महिला बंदियों को रखा जाता है।

वर्ष 2019 में राज्य की समस्त कारागृहों में कुल 21597 बंदी (31.12.2019 को) निरूद्ध थे, जिनमें 15378 विचाराधीन बंदी, 6187 दण्डित बंदी, 31 सिविल बंदी तथा 01 डेटेन्यू बंदी था। गत 5 वर्षों में राज्य में निरूद्ध बंदियों की संख्या तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार है :-

वर्ष	बंदी क्षमता	विचाराधीन बंदी	दण्डित बंदी	सिविल बंदी	डेटेन्यू बंदी	कुल बंदी
2015	19607	13871	5736	67	05	19679
2016	19874	14817	5346	189	11	20363
2017	21879	14126	5544	47	07	19724
2018	21892	14509	5606	13	06	20134
2019	22921	15378	6187	31	01	21597

बंदियों की निरन्तर बढ़ती संख्या तथा विभिन्न कारागृहों में जनाधिक्य के दृष्टिगत राज्य में बंदी क्षमता में वृद्धि की जा रही है। राज्य के 05 संभागीय मुख्यालयों भरतपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर पर 100-100 बंदी क्षमता तथा उदयपुर में 50 बन्दी क्षमता के महिला बन्दी सुधारगृह का निर्माण करवाया जाकर महिला बन्दी निरूद्ध रखे जा रहे हैं।

3. सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम

3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल) प्रदान की जाती है। बंदियों को अधिकतम 15 दिवस का आपात पैरोल बंदी के नजदीकी रिश्तेदार यथा पिता, माता, पत्नी, पति, बच्चे, भाई अथवा अविवाहित बहिन की गम्भीर बीमारी, नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा के कारण जीवन और सम्पदा को क्षति, स्वयं की शादी, पुत्र/पुत्री की शादी एवं माता पिता के न होने पर भाई/बहिन की शादी पर दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। दंडित गर्भवती महिला बंदी द्वारा जेल से बाहर प्रसव हेतु आवेदन पर उसे 45 दिवस का पैरोल स्वीकृत किये जाने का नियमों में प्रावधान है। वर्तमान पैरोल व्यवस्था में निकट संबंधी/ परिजन की मृत्यु

पर आपात पैरोल के प्रावधान के अन्तर्गत अधीक्षक को 07 दिवस पैरोल स्वीकृत करने का अधिकार एवं महानिदेशक कारागार/महानिरीक्षक कारागार को 15 दिवस, जिला कलेक्टर को 15 दिवस पैरोल का अधिकार है।

विभाग में वर्ष 2017 से 2019 की अवधि में बंदियों को राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत पैरोल का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैरोल स्वीकार कर्ता	रिहा किये गये बंदियों की संख्या		
		वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019
1	जिला पैरोल समिति द्वारा स्वीकृत नियमित पैरोल	1279	1243	1079
2	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा दिया गया आपात पैरोल	1	2	0
3	संबंधित अधीक्षक द्वारा दिया गया आपात पैरोल	0	30	14
4	संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया आपात पैरोल	126	114	129
5	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा एन.डी.पी. एस. एक्ट के बंदियों को दिया गया पैरोल	1	0	0
6	संबंधित न्यायालयों के आदेशों से पैरोल पर रिहा	253	502	355
7.	राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंसा पर स्थाई पैरोल पर रिहा	138	155	269
	योग	1818	1892	1846

3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करके इन्हें समाज में पुनर्स्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान कैदी (सजाओं को कम करना) नियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों के समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया गया है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डल की सिफारिश के आधार पर बंदियों को समय पूर्व छोड़े जाने या ना छोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है। वर्ष 2017 से 2019 तक कारागार विभाग में राज्य सरकार द्वारा कुल 134 बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से समयपूर्व रिहा किये बंदियों की संख्या
2017	13
2018	68
2019	53

3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण

बंदियों में अच्छे एवं स्व-अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व खुले बंदी शिविरों में रखकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वनिर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को राज्य स्तरीय वरिष्ठता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर बंदियों को खुले शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बन्दी शिविरों में बन्दी स्वयं की रूचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भांति मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खुले शिविरों के बंदियों को उनके द्वारा अर्जित राशि स्वयं के पास रखने, स्वयं के लिए आवास व भोजन व्यवस्था पर व्यय करने एवं बचत को अपने परिवार वालों को भेजने की पूर्ण सुविधा है। बंदियों को खुले शिविरों पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी वहन कर सकें एवं उनका परिवार विघटित होने से बच सके। यह शिविर जेल व समाज के बीच कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। इससे न केवल बन्दी को जेल में होने वाले तनाव से छुटकारा मिलता है, बल्कि बन्दी पर होने वाले सरकारी खर्च में भी बचत होती है। यह बन्दी को खुला रखने पर उसके आचरण का परीक्षण होता है। यदि बन्दी सही आचरण नहीं रखता है तो पुनः जेल भेज दिया जाता है। राजस्थान के खुला बन्दी शिविर पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुके हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इस व्यवस्था को अपनाने हेतु निर्देशित किया है। यह अपने आप में कारागार विभाग के लिए गौरव की बात है।

दिनांक 31.12.2019 को 39 खुले बन्दी शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी कुल बन्दी क्षमता 1357 है एवं 1001 बन्दी वर्तमान में इन शिविरों में निवासरत हैं। वर्ष 2019 में 499 बंदियों को राज्य के विभिन्न बन्दी खुला शिविरों में भिजवाया गया।

3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई :-

राजस्थान प्रिजन्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 के संशोधित नियम 1994 के प्रावधानानुसार कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बन्दी जिनके द्वारा 20, 30 एवं 40 दिवसीय नियमित पैरोल का संतोषजनक रूप से उपभोग कर लिया है, ऐसे बंदियों को नियम -9 के तहत स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017 से 2019 तक कुल 514 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से स्थाई पैरोल पर रिहा किये बंदियों की संख्या
2017	127
2018	184
2019	203

3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित है। इस समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन, सदस्य व प्रभाराधिकारी, कारागृह सदस्य सचिव होते हैं। इस समिति द्वारा नियमित बैठक कर लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते हैं। इस समिति द्वारा अधिकतम सजा के आधे भाग के बराबर विचाराधीन अवधि वाले बंदी के बारे में विचार किया जाता है।

3.6 कारागृह उद्योग

राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कूलर बनाना, कारपेन्ट्री, होजरी, लुहारी आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पावर चलित मशीनें केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदपुर एवं अजमेर पर स्थापित हैं जहाँ बंदियों वस्त्र वर्दी निर्माण हेतु कपड़े का निर्माण किया जाता है। राज्य की दो केन्द्रीय कारागृहों (जोधपुर, उदयपुर) में डेजर्ट कूलर, लोहे की चारपाई, आलमारी एवं लोहे का फर्नीचर आदि निर्मित करने हेतु उद्योग प्रारंभ कर बंदियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। कारागार उद्योगों में प्रशिक्षित होने के उपरान्त बंदियों द्वारा उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। उद्योगों में बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 130/- रुपये एवं कुशल श्रमिक को 150/- रुपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। वर्ष 2017 से 2019 तक राज्य के कारागृहों की उद्योगशाला में बंदियों द्वारा वर्षवार निम्नानुसार उत्पादन किया गया :-

वर्ष	राज्य की उद्योगशालाओं में उत्पादन
2017	58.28 (राशि लाखों में)
2018	43.92 (राशि लाखों में)
2019	01.16 (राशि करोड़ों में)

3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम (अ) साक्षरता

निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति एवं राजस्थान शिक्षा प्रसार समिति द्वारा भी साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) के सहयोग से भी बंदियों को साक्षर करने के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। राज्य की बड़ी कारागृहों में जहां अधिक संख्या में बंदी रहते हैं, बंदी बैरकों को आखरधाम के रूप में अभिहित कर साक्षरता को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वर्ष 2017 से 2019 की अवधि में वर्षवार साक्षर किये गये बंदियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य कारागृहों में साक्षर किये गये बंदियों की संख्या
2017	8139
2018	5860
2019	6172

(ब) उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्नति करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2019 तक विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बंदियों का विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2018-19 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2019-20 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
1.	सैकेण्डरी	87	112	213
2.	सीनियर सैकेण्डरी	17	22	8
3.	स्नातक प्रथम	55	0	0
4.	स्नातक द्वितीय	0	0	0
5.	स्नातक तृतीय	1	1	2
6.	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध	0	0	0
7.	स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध	5	5	4
8.	अन्य परीक्षा	152	119	125
	योग	317	259	352

(स) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

IGNOU के अधिकांश पाठ्यक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलम्बी हो सकेंगे एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुनर्स्थापित होकर अपना स्थान बना सकेंगे।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि में **IGNOU** द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य के कारागृहों में निरूद्ध बंदियों ने निम्नानुसार वर्षवार अध्ययन हेतु प्रवेश लिया, जिनका विवरण निम्न है:-

वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2018-19 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2019-20 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
719	984	1059

(द) तकनीकी शिक्षा

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं अजमेर (हाल- बीकानेर) में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आई.टी.आई. संचालित की जा रही है। केन्द्रीय कारागृह,

जयपुर में दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर एवं वायरमैन पाठ्यक्रमों में दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा कारपेन्ट्री, कटिंग एवं सिलाई में एक वर्षीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में फिटर एवं डीजल मैकेनिक का दो वर्षीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में उक्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2017

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2017-18	11	1	डीजल मैकेनिक	2017-18	19
2	कटिंग एवं स्वीईंग	2017-18	11	2	फिटर	2016-18	13
3	फिटर	2017-19	16				
4	वायरमैन	2017-19	19				
	योग		57		योग		32

वर्ष 2018

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2018-19	14	1	डीजल मैकेनिक	2018-19	08
2	कटिंग एवं स्वीईंग	2018-19	13	2	फिटर	2018-20	06
3	फिटर	2018-20	07	3	कोपा	2018-19	20
4	वायरमैन	2018-20	12				
	योग		46		योग		34

वर्ष 2019

विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में प्रशिक्षणरत बंदियों का विवरण:-

क्र.सं.	कारागृह का नाम	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	वायरमैन	19
		फिटर	18
2	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	कोपा	12
3	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	कोपा	13
		इलेक्ट्रिशियन	7
4	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	कारपेन्टर	8
5	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	फिटर	3
		कोपा	14
		डीजल मैकेनिक	13
6	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्लम्बर	2
7	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	कारपेन्टर	17
		मैशन बिल्डिंग	1
		योग	127

3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं कारागृहों में उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि बंदियों को उपलब्ध है। कारागृहों में टी.वी., रेडियो, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय-समय पर केन्द्रीय कारागृहों में उपलब्ध प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाये जाते हैं। बंदियों को खेलकूद, गीत-संगीत, वाद-विवाद, लेखन चित्रकला आदि की प्रतियोगिताएँ भी करवाई जाती हैं। राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृहों में बंदियों के मनोरंजन हेतु केबल कनेक्शन स्थापित कराये गये हैं।

3.9 बंदी कल्याण कोष

कारागार विभाग में बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष संचालित किया जाता है। बंदियों को नजर का चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद, मनोरंजन के उपकरण क्रय करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की अवधि में बंदी कल्याण कोष से निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

क्र.सं.	वर्ष	बंदी कल्याण कोष से व्यय राशि (लाखों में)
1.	2017	2.69
2.	2018	28.87
3.	2019	44.25

3.10 बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर पर बंदी बैण्ड कार्यरत है। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर बैण्ड स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस बैण्ड की प्रस्तुति राज्य स्तर पर भी दी जाती है। केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के बैण्ड पर बी.बी.सी. द्वारा डाक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस बैण्ड में मात्र एक प्रहरी की अभिरक्षा में 20 से 22 बंदी बैण्ड के साथ बाहर समारोहों में भाग लेने जाते हैं।

कारागार विभाग के इस प्रयास को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बैण्ड से प्राप्त आमदनी राशि का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता है तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि के लिए उपलब्ध रहता है। वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में जेल बैण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	जेल बैण्ड से प्राप्त राशि रूपये (लाखों में)	बैण्ड के साजो सामान पर व्यय की गई राशि रूपये (लाखों में)	बैण्ड पार्टी के बंदियों में वितरित की गई राशि रूपये (लाखों में)
1.	2017	3.34	0.56	2.36
2.	2018	1.97	0.17	0
3.	2019	2.26	0.83	0.31

3.11 अन्य कार्यक्रम

राज्य के कारागृहों में नियमित योग, विषयना, ब्रह्माकुमारीज एवं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। बंदियों को सुधार के प्रति प्रेरित करने के लिये समय-समय पर नैतिक शिक्षा विभिन्न धर्म गुरुओं के माध्यम से दी जाती है। इन कार्यक्रमों से बंदियों का मानसिक तनाव कम होता है तथा अवसाद से छुटकारा मिलता है। सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होने से बंदी अपराधिक प्रवृत्ति से दूर होता है तथा उसमें रचनात्मक कार्यों के प्रति अभिरुचि जागृत होती है।

4. चिकित्सा एवं सुविधायें

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारू देख-रेख की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस हेतु राज्य की समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर पूर्णकालीन चिकित्सा अधिकारियों व पूर्णकालीन मेल नर्स के पद स्वीकृत हैं तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन चिकित्साधिकारियों एवं पूर्णकालीन मेल नर्स के पद स्वीकृत हैं।

राज्य की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर डिस्पेन्सरियां स्थापित हैं, जहां पर बंदियों का इलाज किया जाता है तथा उप कारागृहों पर बंदियों के इलाज हेतु मेल नर्स के पद स्वीकृत हैं। राज्य की कारागृहों में निरुद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो डाइग्नोसिस)	02	02
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	01	01
3.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक)	09	09
4.	क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट	01	00
5.	चिकित्साधिकारी	37	34
6.	सहायक रेडियोग्राफर	02	02
7.	मेल नर्स	89	79
8.	नर्स/दाई	04	04
9.	लैब टेक्नीशियन	08	07

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजी लैब भी स्थापित है जिसमें बंदियों की विभिन्न बिमारियों की जांच हेतु मशीनों एवं उपकरणों यथा अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, (सोनोग्राफी) एक्स-रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की व्यवस्था है। लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डायग्नोसिस), 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 2 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत है। समस्त 9 केन्द्रीय, 1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर, 2 जिला कारागृह "ए" श्रेणी, 19 जिला कारागृह "बी" श्रेणी एवं महिला बन्दी सुधारगृह, जयपुर पर एम्बुलेन्स की सुविधा भी सुलभ है।

राज्य के कारागृहों में निरूद्ध समस्त बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा (Scale) अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दंडित बंदियों को बिस्तर, कम्बल, वस्त्रादि भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकता होने पर विचाराधीन बंदियों को भी बिस्तर, कम्बल दिये जाते हैं।

राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर पर 01 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक) का पद सृजित है तथा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर 01 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन) एवं 01 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के भी पद सृजित हैं। राज्य की समस्त केन्द्रीय कारागृहों पर ई.सी.जी., एक्स-रे एवं केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सोनोग्राफी मशीनें भी उपलब्ध है।

गत तीन वर्षों में बंदियों को भोजन, वस्त्रादि एवं चिकित्सा सुविधा पर प्रति बंदी औसत वार्षिक व्यय निम्न है :-

2017-18	रूपये 11775.00
2018-19	रूपये 11350.03
2019-20 (दिनांक 31.12.2019 तक)	रूपये 9524.42

5. मानव संसाधन

- (i) भर्ती एवं प्रशिक्षण :- कारागार विभाग में उपाधीक्षक, उप कारापाल एवं प्रहरी के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है। विगत तीन वर्षों में निम्नांकित पदों पर भर्ती की गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	उपाधीक्षक	उप कारापाल	प्रहरी
1.	2017	0	34	07
2.	2018	0	01	775
3.	2019	3	09	727

उपाधीक्षक एवं उप कारापाल पद पर नियुक्ति उपरान्त 09 माह का संस्थागत एवं 09 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रहरी पद पर नियुक्ति उपरान्त 06 माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) राज्य के विभिन्न कारागृहों में स्वीकृत सुरक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी पदवार उपलब्धता (31.12.2019 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	2017		2018		2019	
		स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध
1.	अधीक्षक ग्रेड-1	11	1	11	10	11	10
2.	अधीक्षक ग्रेड-11	7	2	18	3	18	3
3.	उपाधीक्षक	36	21	36	9	36	11
4.	कारापाल	76	7	76	13	76	38
5.	उप कारापाल	188	133	188	130	188	135
6.	सहायक कारापाल	0	0	0	0	0	0
7.	महामुख्य प्रहरी	0	0	0	0	0	0
8.	मुख्य प्रहरी	613	496	613	451	613	505
9.	प्रहरी	2907	1325	2907	1894	2907	2408
	योग	3838	1985	3849	2510	3849	3110

क्रम संख्या 6 एवं 7 पर अंकित पद वर्ष 2016 के पश्चात समाप्त कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कारागार विभाग के बढ़ते कार्यभार के मद्देनजर जेल कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, इसी क्रम में वर्ष 2018 में अधीक्षक ग्रेड-11 के पद 07 से बढ़ाकर 18 कर दिए गए हैं।

भारत सरकार के आदर्श जेल मेन्यूअल के अनुसार हर छः बंदियों पर एक सुरक्षाकर्मी की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य में प्रत्येक सुरक्षाकर्मी पर औसतन वर्ष वर्ष 2017 में 10, वर्ष 2018 में 08 एवं 2019 में 07 बंदियों का उत्तरदायित्व रहा

है। सुरक्षा कर्मियों की कमी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कारागृहों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिये अस्थायी तौर पर बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवक एवं शहरी/ग्रामीण होमगार्ड स्वयंसेवक उपलब्ध कराए जाते हैं, जिस कारण राज्य में सुरक्षाकर्मी एवं बंदी अनुपात लगभग 1: 7 है। कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने एवं अवैध सामग्री की रोकथाम हेतु आर.ए.सी. की सम्पूर्ण बटालियन (13वीं वाहिनी, आरएसी) के 811 जवानों को अलग-अलग 50 कारागृहों पर लगाया गया है।

कारागृहों में रिक्त चल रहे विभिन्न संवर्गों के पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2019 में 206 वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियाँ भी प्रदान की गई हैं।

5.1 प्रशिक्षण

कारागार विभाग का मूल प्रशिक्षण संस्थान कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है, जहाँ समस्त नवनियुक्त एवं पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में तेहरवे वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से सुविधाओं में विस्तार के उपरान्त जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान में 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता हो गई है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण संस्थानों यथा सी.आई.एस.एफ./बी.एस.एफ. प्रशिक्षण संस्थानों पर भी जेल अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर दिये गये प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	सहायक कारापाल/ महामुख्य प्रहरी	मुख्य प्रहरी	प्रहरी
1	2017	-	-	70	-	115	22
2	2018	-	18	55	-	-	734
3	2019	3	26	50	-	120	729

उक्त के अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य संस्थानों जैसे हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, किशनगढ़, जेल ट्रेनिंग स्कूल, पटियाला, पंजाब, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, कारागार विभाग (SICA) हैदराबाद एवं मुख्यालय कारागार, जयपुर पर भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास (Employee Welfare Found)

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत कर्मियों के कल्याणार्थ, कार्मिक कल्याण न्यास उपलब्ध है जो कि पूर्णतः कर्मचारियों के अंशदान से संचालित किया जाता है। वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में न्यास से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता, कर्मचारी को गम्भीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर लौटाई गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	मृतक कर्मचारियों की संख्या	मृतक आश्रितों को सहायता राशि रुपये (लाखों में)	सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	सेवानिवृत्ति पर लौटाई गई राशि रुपये (लाखों में)
1.	2017	12	2.34	53	0.37
2.	2018	14 (3 गम्भीर घायल सहित)	2.25	43	0.31
3.	2019	18 (02 कर्मिकों/ आश्रितों एवं 3 घायलों सहित)	2.73	24	0.18

5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि

कारागार विभाग में सेवाकाल की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक अयोग्यता/असमर्थता की स्थिति में, जिससे कि वह सेवा करने में असमर्थ हो जावे, स्वयं सदस्य को अथवा उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं कल्याण संबंधी कार्यों हेतु कोष-निधि संचालित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली वार्षिक अंशदान राशि सम्मिलित है। वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में हितकारी निधि से विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय राशि रूपये (लाखों में)	विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक आश्रित सदस्यों की सहायता पर व्यय राशि रूपये (लाखों में)
1.	2017	0.96	5.14
2.	2018	2.41	25.92
3.	2019	7.11	27.41

6. नवाचार

6.1 आशाएं कॉपरेटीव सोसायटी :-

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर विक्रय आउटलेट आशाएँ- द जेल शॉप का उद्घाटन दिनांक 18.01.2017 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उक्त आउटलेट पर दरियां, पेंटिंग्स, आसन (पूजा) जयपुरी रजाईयां, पैच वर्क, सांगानेरी प्रिन्ट की बेड शीट्स, मिर्च-मसाले, कैण्डल, पेपर बैग्स, पेपरमेशी अगरबत्ती आदि सामान की बिक्री की जाती है।

आशाएं द जेल शॉप के स्थान पर आशाएं कॉपरेटीव सोसायटी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया जाकर संचालित की जा रही है। आगामी वर्षों में वर्तमान में विक्रय किये जा रहे उत्पादों के अतिरिक्त कारागृहों में निर्मित फिनाइल एवं मसालों की बिक्री भी इसके माध्यम से की जायेगी।

6.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :-

केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, उदयपुर एवं भरतपुर पर बंदियों को तकनीकी शिक्षा दिया जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं तथा केन्द्रीय कारागृह, कोटा पर स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण केन्द्रीय कारागृह, कोटा के स्थान पर जिला कारागृह, झालावाड़ पर बंदियों को तकनीकी शिक्षा दिया जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.3 e-prisons and VC:-

राजस्थान पूरे देश में जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत सरकार के ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के तहत राज्य की 139 कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के डाटा को कम्प्यूटरीकरण करने हेतु महानिदेशक कारागार द्वारा महानिदेशालय कारागार स्तर पर “टीम संजय” का गठन किया गया।

टीम संजय द्वारा कारागृहों e-Prisons के क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्य किये गये :-

1. कारागृहों पर ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के तहत हार्डवेयर उपलब्ध कराना।
2. कारागृहों पर इंटरनेट (बी.एस.एन.एल. ब्रॉडबैंड/राजनेट/डोंगल/वाई-फाई राउटर) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।
3. ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु 940 कार्मिकों को ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया।
4. ई-प्रिजन प्रोजेक्ट को संचालित करने हेतु टीम द्वारा अभियान सनराइज, दीक्षा, जेड.पी, ओ.पी., एम.पी., पेशी, लिगेसी पुलथरू, आर.टी प्रारम्भ किये जाकर सफलता के साथ Prisons Managemant System- पर बंदियों से संबंधित सामान्य जानकारी एवं Court Case, Court Action, Conviction, Photo, Lodging, Health Status, Visitor से संबंधित एन्ट्रियां इन्द्राज की जाती है, इसके अन्तर्गत दिनांक 31.12.2019 तक 1460765 एन्ट्रियां हो चुकी है ।

Visitor Managemant System- (VMS) उक्त सॉफ्टवेयर केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं महिला बंदियों सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर तथा उच्च सुरक्षा कारागृह,

अजमेर पर इसके अन्तर्गत बंदियों के परिजनों की मुलाकात करवाई जाती है, इसके अन्तर्गत मिलने वाले आई.डी. की डीटेल का इन्द्राज कर उस का फोटो लिया जाता है। इस प्रकार मुलाकाती सिस्टम पूर्ण रूप से कार्यरत है। इसके अन्तर्गत दिनांक 31.12.2019 तक 629245 एन्ट्रियां हो चुकी है ।

Parole Managment System- e-Prisons System में बंदी के पैरोल से सम्बन्धित साफ्टवेयर उपलब्ध है।

6.4 ई- हिस्ट्री टिकिट:-

हिस्ट्री टिकिट एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है जिसमें बन्दी के जेल में दाखिल होने से रिहा होने तक बिताए गए समय से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं और विशेष रूप से बन्दी से संबंधित आदेश को निष्ठापूर्वक जेल प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक बन्दी (दण्डित/विचाराधीन) को एक हिस्ट्री टिकिट उपलब्ध कराये जाने के क्रम में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बन्दियों के लिए दिनांक 31.01.2016 को ई-हिस्ट्री टिकिट CHRI के सहयोग से लाँच किया जा चुका है। ई-हिस्ट्री टिकिट के माध्यम से बन्दी अपनी सजा संबंधी विवरण, रेमीशन, जेल दण्ड, आगामी पेशी, सजा, एवं चिकित्सा संबंधी विवरण व संभावित रिहाई इत्यादि कम्प्यूटर पर देख सकेंगे। ई-हिस्ट्री टिकिट के क्रियान्वयन हेतु राज्य की 09 केन्द्रीय कारागृहों पर महानिदेशालय कारागार स्तर से कियोस्क मशीन उपलब्ध करवाई जाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के द्वारा राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, महिला बंदी सुधारगृह एवं उच्च सुरक्षा कारागृह तथा किशोर बंदी सुधारगृह पर ई-प्रिजन प्रोजेक्ट को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु हार्डवेयर/लोकल एरिया कनेक्टीविटी (LAN)/इन्टरनेट कनेक्टीविटी की कार्यवाही की जा रही है।

6.5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

राज्य की 25 कारागृहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की न्यायालय में पेशी भुगताने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। अब शेष कारागृहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा चालू किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ई-कोर्ट योजना के अन्तर्गत राज्य की जिला कारागृह, सवाईमाधोपुर, महिला बंदी सुधारगृह, जोधपुर एवं राज्य की समस्त उप कारागृहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों से जोड़ा जा रहा है। उक्त कारागृहों पर हार्डवेयर स्थापित/इन्सटोल हो चुके हैं, इन्टरनेट कनेक्टीविटी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.6 जेल विकास बोर्ड का गठन :-

जेल सुधार (Prison Reforms) के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जेल विकास बोर्ड का दिनांक 18.09.2019 को गठन किया गया है। जेल विकास बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य की जेलों में संचालित उद्योगशालाओं के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण एवं बंदियों के पुर्नवास, कल्याण के प्रबंधन से संबंधित कार्यों को गतिशीलता प्रदान करना।

6.7 Prison Inmate Calling System :-

बंदियों को दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने बाबत राज्य की 09 केन्द्रीय कारागृहों, 01 विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा), 1 उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर, 26 जिला कारागृहों, 7 महिला बंदी सुधारगृहों तथा 02 उप कारागृह, कोटपुतली एवं किशनगढबांस पर Prison Inmate Calling System सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से बंदी अपने परिवार/रिश्तेदार /मित्र आदि के चार रजिस्टर्ड कराये गये फोन नम्बरों पर बात कर सकता है।

इन नम्बरों की प्रमाणिकता की जांच एस.ओ.जी./ए.टी.एस. द्वारा की जाती है। वार्ता रिकार्ड भी होती है। बंदियों के परिजनों को बंदी के हाल-चाल जानने हेतु तथा कोई भी सूचना के आदान-प्रदान हेतु बहुत दूर से आना पड़ता था। इससे गरीब परिजनों के समय तथा धन का अपव्यय होता था। इस प्रणाली ने बंदियों को अपने अधिवक्ता व परिजनों से वार्ता कराने का वैधानिक तरीका प्रदान किया है।

इस समय बंदियों द्वारा इस प्रणाली का 1.25 लाख मिनट प्रति सप्ताह उपयोग किया जा रहा है। इससे जेलों में अवैध रूप से चलने वाले मोबाइलों को रोकने में सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई है।

6.8 बंदियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना:-

कारागृहों में निरूद्ध बंदियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु 04 कारागृहों में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.9 नये उद्योगों की स्थापना:-

कारागृह उद्योगशालाओं में कपड़े धोने की साबुन निर्माण का प्लांट, नहाने की साबुन निर्माण का प्लांट, सरसो का तेल निकालने का एक्सपैलर स्थापित किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा फिनाइल, झाड़ु एवं पोछा निर्माण आदि के नये कार्य प्रारंभ किये गये हैं।

महिला बंदी सुधारगृह, कोटा एवं जयपुर में मसाले पिसाई का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा शेष महिला बंदी सुधारगृहों, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर पर मसाले पिसाई का कार्य प्रारम्भ किया जाकर समस्त कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के खाद्य सामग्री में सम्मिलित किये जाने तथा बाहर आउटलेट्स पर ब्रिकी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कारागृहों के बंदियों हेतु चप्पल एवं सोलर लाईट की परियोजना को प्रयोगात्मक प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.10 भावी प्राथमिकताएं:-

- सभी रैंक के जेल कार्मिकों की समय से पदोन्नति करवाना।
- जेलों में निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम हेतु योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाना।
- कारागार विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि व सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- कारागार कार्मिकों के निवास हेतु नये क्वार्टर्स का निर्माण।
- राजस्थान के समस्त कारागृहों में निरूद्ध बंदियों की समस्त जानकारी 100% (शत प्रतिशत) रियल टाइम ऑनलाईन रखना।
- राजस्थान के समस्त खुली जेलों में पेपर रहित एप आधारित उपस्थिति व्यवस्था लागू किया जाना।
- राजस्थान की जेलों में कैश लैस एकीकृत कैन्टीन एवं पिक्स (फोन व्यवस्था) लागू किया जाना।
- राजस्थान की समस्त जेलों में निरूद्ध समस्त सजायाफ्ता बंदियों को जेल उद्योग में वर्ष में कम से कम 3 माह भुगतान योग्य कार्य उपलब्ध कराना।
- राजस्थान की समस्त कारागारों में आन्तरिक खपत हेतु मसालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जाना।
- राजस्थान की समस्त जेलों में बंदियों को आन्तरिक उपयोग हेतु दिये जाने वाले बंदी वस्त्र किट के उत्पादन/निर्माण में आत्म-निर्भरता हासिल किया जाना।
- राजस्थान के समस्त कारागारों में परिसर की पूर्ण साफ-सफाई में आत्मनिर्भरता हासिल किया जाना।
- राजस्थान के समस्त कारागारों को प्लास्टिक से मुक्त किया जाना।

- राजस्थान के कारागारों में पौधारोपण अभियान चलाकर हरित क्षेत्र में 50% की वृद्धि किया जाना।
- कारागार विभाग के समस्त जेल कर्मियों का वार्षिक मेडिकल परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करना।
- राजस्थान के कारागारों में निरुद्ध प्रत्येक सजायाफ्ता कैदी का आधार कार्ड बनाना एवं बैंक खाता खुला होना सुनिश्चित किया जाना।
- राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत समस्त कर्मियों में से कम से कम एक तिहाई कर्मियों का रिफ्रेशर आयोजित किया जाना।

7. विभाग का स्वीकृत बजट आय, व्यय का विवरण

(i) कारागार विभाग, का वर्ष 2019-20 का स्वीकृत बजट एवं 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल वास्तविक व्यय

क्र. सं.	उपशीर्ष	स्वीकृत बजट (राशि लाखों में)	कुल वास्तविक व्यय (लाखों में)
1	2	3	4
1.	001- निर्देशन एवं प्रशासन	-	-
	राज्य निधि	1126.99	767.30
	राज्य निधि (आयोजना)	-	-
	के.प्र.यो.	-	-
	प्रभृत	-	-
2.	101- जेल	-	-
	(01) मुख्य जेले	-	-
	राज्य निधि	9759.65	6956.00
	राज्य निधि (आयोजना)	305.96	107.44
	के.प्र.योजना	342.49	186.59
	प्रभृत	-	-
	(02) जिला जेले (राज्य निधि)	4265.34	3497.35
	(03) हवालातें (राज्य निधि)	4178.69	3162.35
	(05) जम्मू कश्मीर अतिवादियों के रख रखाव पर व्यय (05) कार्यालय व्यय (के.प्र.यो.)	0.01	0.00

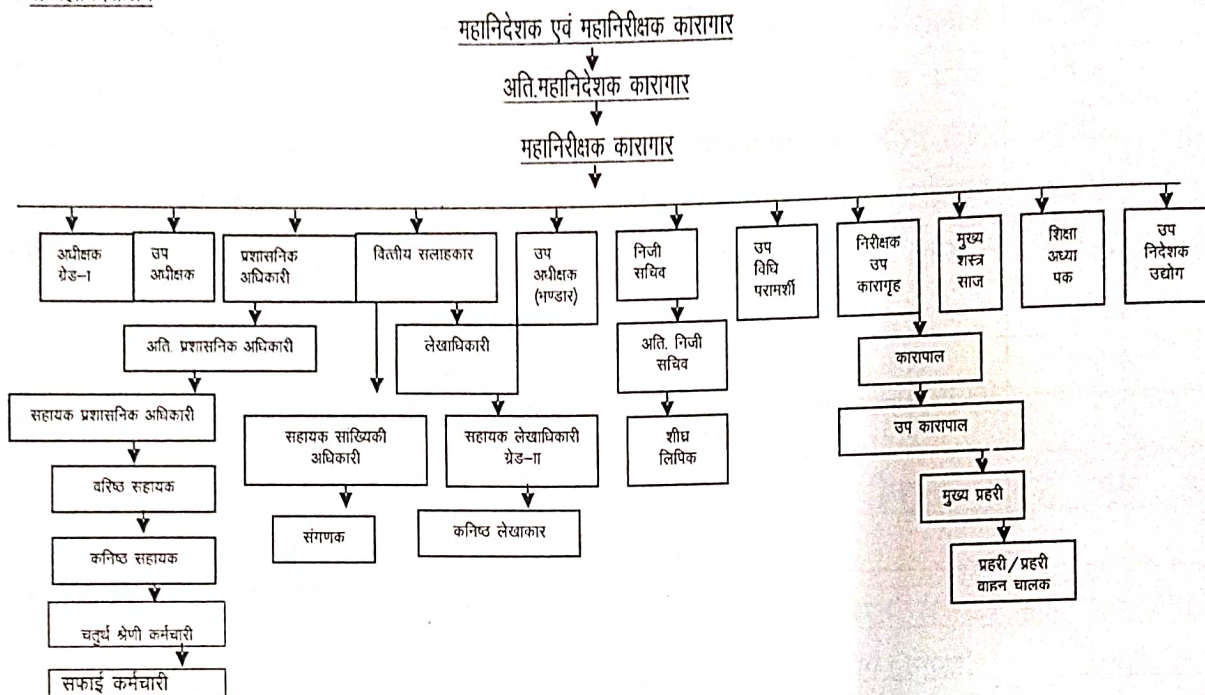
102	जेल उत्पाद	-	-
(01)	मुख्य जेले (राज्य निधि)	70.56	56.98
(02)	जिला जेले (राज्य निधि)	-	-
800-	अन्य व्यय	-	-
(01)	जेल प्रशिक्षण विद्यालय (राज्य निधि)	133.08	79.80
(02)	किशोर बंदी सुधार गृह (राज्य निधि)	5.56	4.50
(03)	महिला बंदी सुधारगृह (राज्य निधि)	234.05	144.73
	नवीन सेवा	-	-
	राज्य निधि	-	-
	राज्य निधि (आयोजना)	2417.00	1093.19
	के.प्र.यो.	-	-
	प्रभृत	-	-
	योग	19773.93	14669.34

	2059 लोक निर्माण कार्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	900.00	474.41
--	--	--------	--------

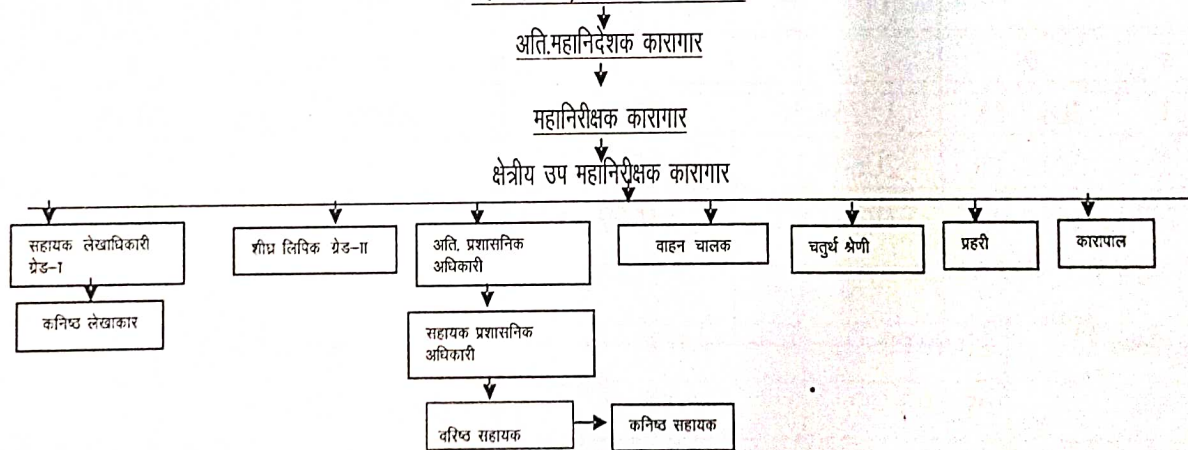
(ii) कारागार विभाग का गत 3 वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत बजट (लाखों में)	वर्ष में हुआ व्यय (लाखों में)	आय अनुमान राशि (लाखों में)	वास्तविक आय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	2017-18	15758.36	12381.16	22.52	20.71
2	2018-19	20649.17	18963.06	25.52	24.85
3	2019-20 (31 दिसम्बर 2019 तक)	19773.93	14669.34	9.00	8.81

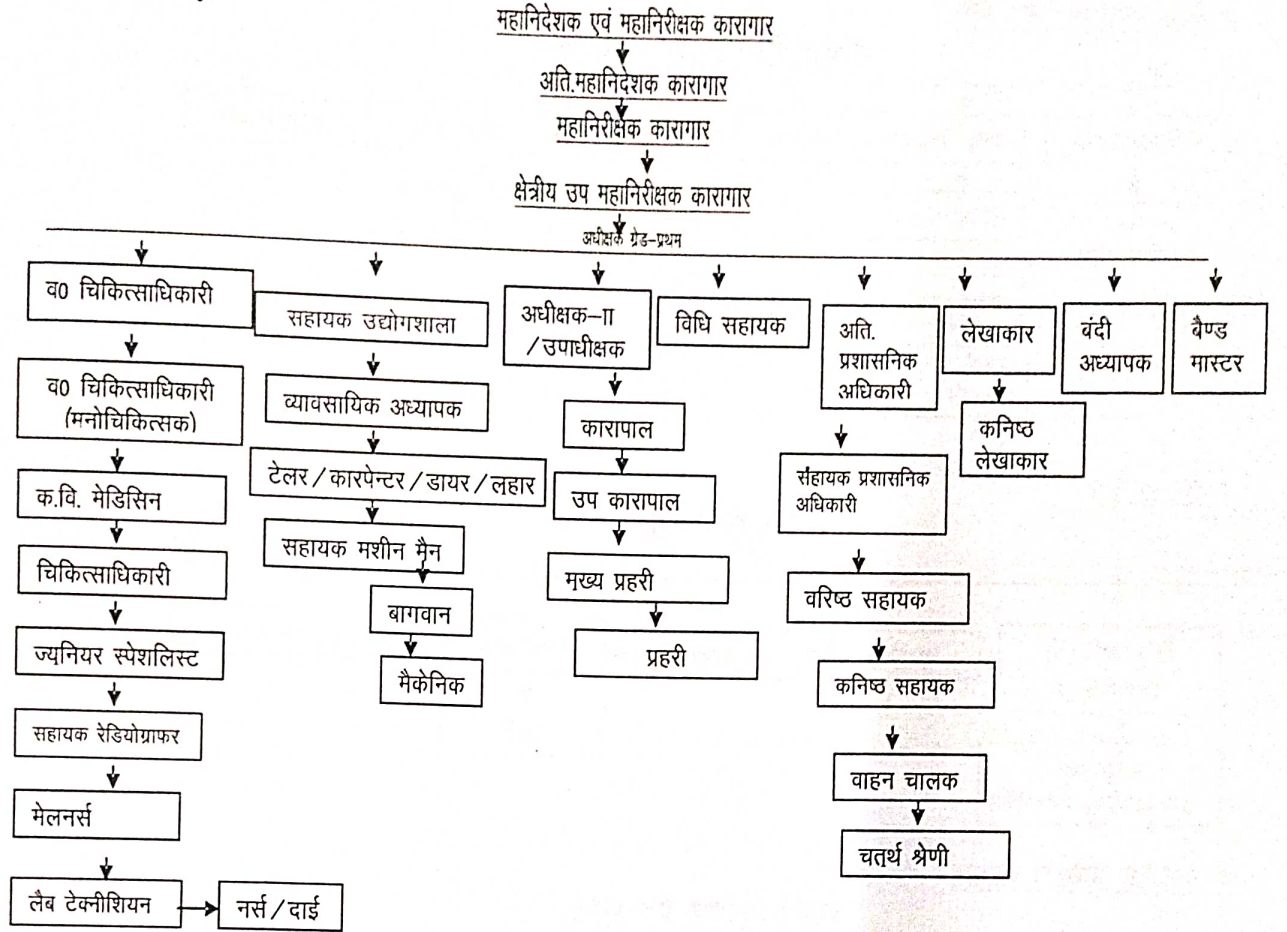
1. महानिदेशालय



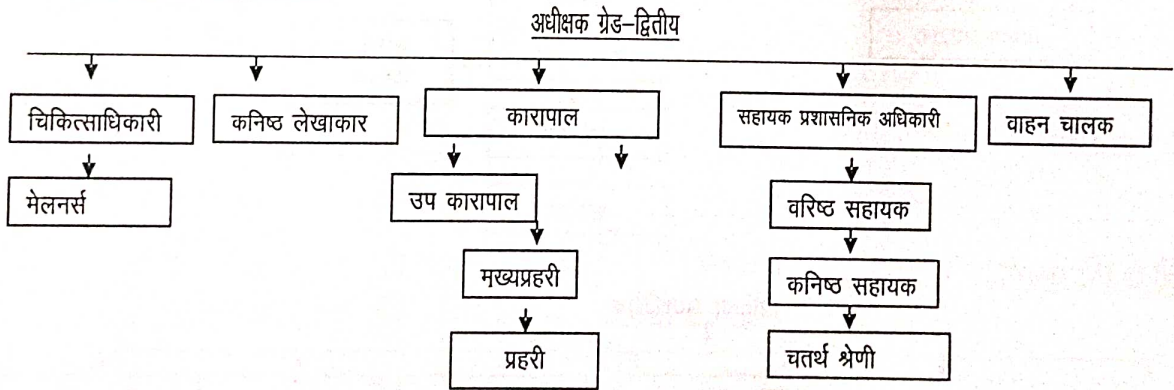
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार



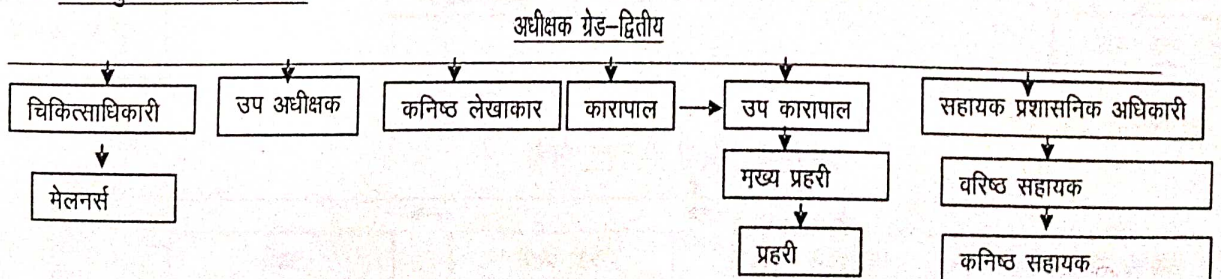
3. केन्द्रीय कारागृह



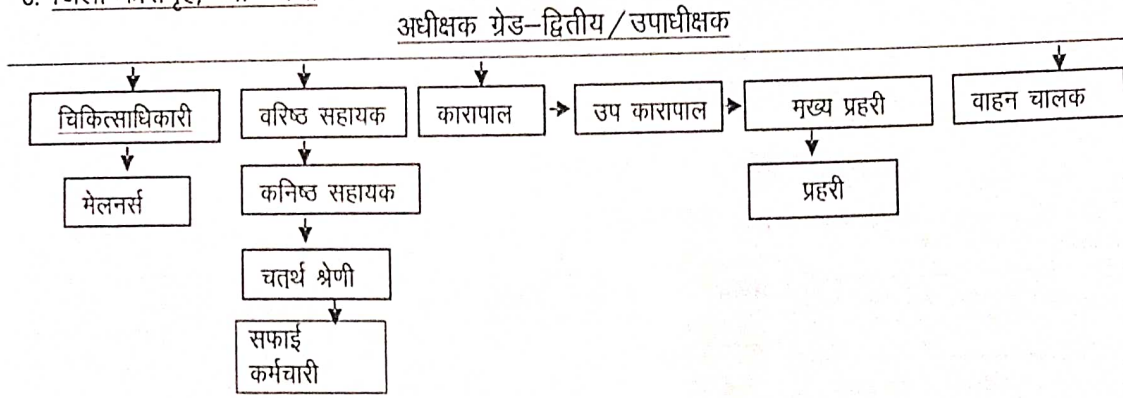
4. जिला कारागृह, "ए" श्रेणी



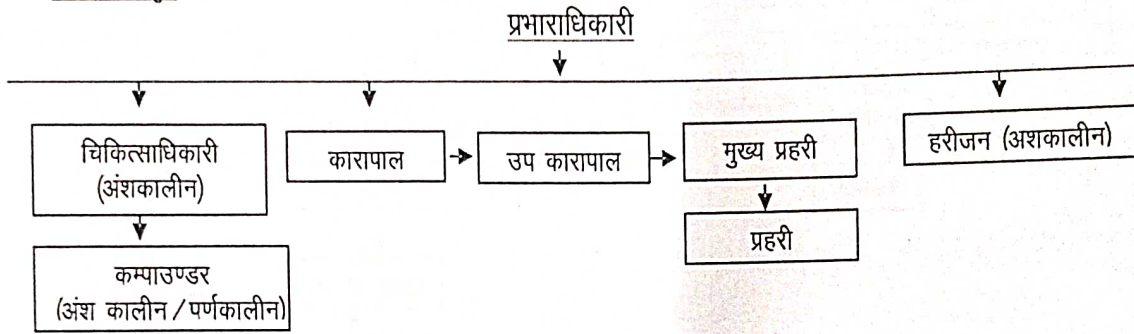
5. उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर



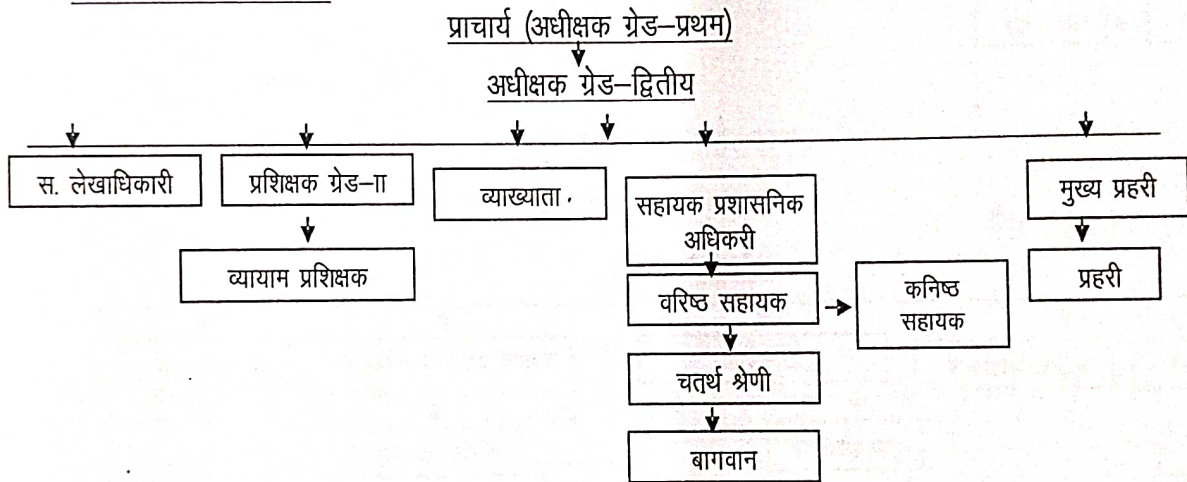
6. जिला कारागृह, "बी" श्रेणी



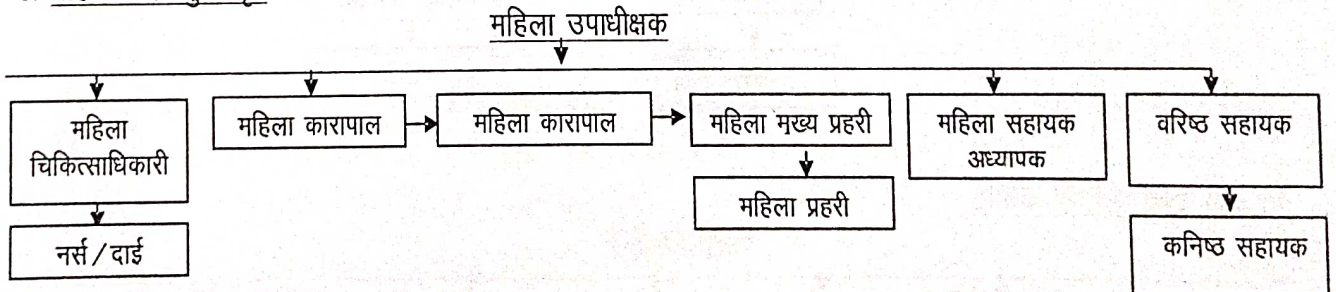
7. उप कारागृह



8. कारागार प्रशिक्षण संस्थान



9. महिला बंदी सुधारगृह



10. किशोर बंदी गृह

